"जलस्रोत, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति र पुर्वाधार : आत्मनिर्भर, समुन्नत र समृद्ध तादी निर्माणको आधार"

# तादी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८२

स्वीकृत मिति : २०८२/३/१०

तादी  गाउँपालिका

खरानीटार नुवकोट

विक्रम संवत् २०८२ साल असार १० गते

# तादी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०८२

प्रस्तावनाः-

तादी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको **संविधानको धारा २२८ को उपधारा** (२) **र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२** बमोजिम तादी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन बनाएको छ।

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः-

(१) संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : "आर्थिक ऐन २०८२" रहेको छ।

(२) यो ऐन २०८२ साउन महिना देखि लागू हुनेछ।

२. परिभाषाः-

(क) "सम्पत्ति कर' भन्नाले घर र घरले चर्चेको जग्गा कर लाई बुझाउँदछ।

(ख) "भूमि कर (मालपोत)' भन्नाले जग्गाको स्वामित्ववाट प्राप्त हुने करलाई वुझाउँदछ।

(ग) "घर जग्गा वहाल कर' भन्नाले धनीले घर जग्गा बहालमा दिइ प्राप्त गरेको आम्दानीवाट प्राप्त भएको करलाई वुझाउँदछ।

(घ) "व्यवसाय कर' भन्नाले व्यवसाय दर्ता गरि प्राप्त हुने करलाई वुझाउदछ।

(ङ) "सवारी साधन कर' भन्नाले तोकीएको सवारी साधन दर्ता र सञ्चालनवाट प्राप्त हुने करलाई वुझाउँदछ।

(च) "विज्ञापन कर' भन्नाले बस्तु वा सेवाको प्रचार गरे वापत प्राप्त हुने करलाई वुझाउँदछ।

(छ) "मनोरन्जन कर' भन्नाले व्यवसायिक प्रयोजनमा मनोरञ्जन स्थलवाट प्राप्त हुने करलाई वुझाउँदछ।

(ज) "पर्यटन शुल्क' भन्नाले पर्यटकहरु गाउँपालिका भित्र वा तोकिएको पर्यटकिय क्षेत्रमा प्रवेश गरे वापत प्राप्त हुने शुल्कलाई वुझाउँदछ।

(झ) "पार्किङ्ग शुल्क' भन्नाले पार्किङ्ग स्थल प्रयोग गरे वापत प्राप्त हुने शुल्कलाई वुझाउँदछ।

(ञ) "सेवा शुल्क, दस्तुर' भन्नाले विभिन्न प्रकारका दर्ता, सिफारिस लगायतका सेवा प्रवाह गरे वापत प्राप्त हुने शुल्कलाई वुझाउँदछ।

(ट) "अन्य कर" भन्नाले यस विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर बाहेकका अन्य सेवा शुल्क, कर दस्तुरलाई वुझाउँदछ।

(ठ) "प्रदेश' भन्नाले बागमति प्रदेश लाई वुझाउँदछ।

३. **भूमि कर (मालपोत)**:- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र घर निर्माण भएको जग्गा तथा निर्माण नभएको खाली जग्गाको **अनुसूची - १** बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

४. **घर जग्गा वहाल करः-**

क) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, जग्गा वा पोखरी र अन्य पूरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा **अनुसूची -२** मा उल्लेख भए वमोजिम वा उक्त अनुसुचीको दररेटमा नघट्ने गरि घरधनीले स्वःघोषणा गरेकोमा वा सम्झौता पत्र अनुसारको बहाल रकममा १० प्रतिशत घर जग्गा वहाल कर लगाइ असुल गरिनेछ।

ख) घर जग्गा बहाल कर एक आर्थिक वर्ष भित्र चुक्ता गर्नु पर्नेछ।

ग) सम्पत्ति बहालमा लगाउन दुई पक्ष वीच सम्झौता गर्दा सो को स्याद न्यूनतम एक वर्षको भएको हुनु पर्नेछ। मासिक बहाल रु. २०,०००/- भन्दा बढी भएमा सम्झौता पत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने छ।

घ) घर बहाल कर प्रत्येक आ.व.को (व्यक्तिगतको हकमा) मासिक रुपमा तिर्न सक्ने छ। उक्त बहाल कर अग्रिम भुक्तानी गरेमा ५ प्रतिशत छुट दिईने छ। तर चालु आ.ब.मा बहाल कर भुक्तानी नगरेमा अर्को आ.ब.मा १० प्रतिशतका दरले बिलम्ब शुल्क लाग्ने छ।

ङ) संघ संस्था तथा कम्पनीको नाममा भएको भवनमा नै कम्पनी संचालनमा रहेको भएमा वहाल कर नलाग्ने तर घरधनी तथा कम्पनी वा संस्था फरक भएमा बहाल कर बुझाउनु पर्नेछ।

च) घरधनीसँग सम्झौता गरी बहालमा लिएको स्थानको बहाल कर घरधनी र दोश्रो पक्ष विच भएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम लाग्नेछ । दोश्रो पक्षले उक्त स्थान तेश्रो पक्षलाई बहालमा दिएमा उक्त दोश्रो पक्ष र तेश्रो पक्ष विचको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको रकमको बहाल कर तेश्रो पक्षले बुझाउनु पर्नेछ ।

ज) करदाताले गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको आफ्नो वहाल आयमा थपघट भएमा वा वहालमा नलागेको अवस्थामा ३५ दिन भित्र वडाको सिफारिस सहित कार्यालयमा सोको विवरण एवं जानकारी पेश गर्नुपर्नेछ । सो अवधिमा विवरण पेश हुन नआएमा कारण खुलाई वडाबाट सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

५. **व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कर**:-गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा **अनुसूची -३** बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

क) उद्योग, ग्रिल, फर्निचर व्यवसाय, वर्कशप, कवाडी व्यवसाय, पशुपन्छी पालन जस्ता मानव तथा वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यवसायहरुलाई सम्वन्धित वडाको रोहवरमा स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का गराई मात्र व्यवसाय दर्ता गरिनेछ ।

ख) २०७३ साल भन्दा अगाडी अन्य सरकारी निकायमा दर्ता भई यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संचालन भईरहेको व्यवसाय/संघ संस्था दर्ता नविकरण गर्दा आधार बर्ष आ.व. २०७३/०७४ लाई मानि कर निर्धारण गरिनेछ । आ.व. २०७३/०७४ भन्दा अगाडी सम्झौता भएकोमा सम्झौतामा उल्लेख भए वमोजिम र सम्झौता नभएको हकमा वहाल करका लागि आधार बर्ष आ.व. २०७३/०७४ मानि कर निर्धारण गरिनेछ ।

ग) अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि चालु आ.व. सम्ममा तिर्न बाँकी बक्यौतामा व्यवसाय नविकरण कर निर्धारण गर्दा चालु आ.व. को स्वीकृत दररेट लाई आधार मानी लागु गरिनेछ ।

घ) यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाहरुमा कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थाहरुले गाउँपालिकाको स्वीकृति/अनुमति बिना घर टहरा अन्य निर्माण कार्य गर्न पाईने छैन । यदि कुनै संघ संस्थाहरुले आफ्नो संस्था संचालन गर्न (नेपाल सरकारको कानुनी तथा संस्थाको स्वीकृत विधान अनुसार) आय आर्जनको लागी व्यापारीक प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा अथवा बहाल संम्झौता गरी कसैलाई प्रयोग गर्न दिएमा बहाल कर तिर्दा र व्यवसाय दर्ता गर्दा बहाल कर तथा व्यवसाय करको दोब्बर दस्तुर लिई व्यवसाय दर्ता गरिने छ ।

ङ) यस गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ **को परिच्छेद-७ दफा २७ को** (१), **तादी गाउँपालिकाको भवन नियमित तथा अभिलेखिकरण सम्वन्धि कार्यविधि २०८१** बमोजिम कसैले पनि गाउँपालिकाबाट नक्सापास नगराई भवन, घर, टहरा तथा अन्य निर्माण कार्य गर्नु हुदैन । यदि नक्सा पास नभएको भवन, घर, टहरा तथा अन्य निर्माण कार्यमा व्यवसाय संचालन गरेको छ भने त्यस्तो व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता गर्दा बहाल संम्झौता पत्र अनुसार बहाल कर तथा व्यवसाय करको दोब्बर दस्तुर लिई व्यवसाय दर्ता गरिने छ ।

च) यस गाउँपालिका भित्र कुनैपनि व्यवसाय दर्ता गर्न र ति व्यवसायहरुको नविकरण शुल्कहरु यसै आर्थिक ऐन बमोजिम हुनेछ । यस ऐनमा नसमेटिएका व्यवसाय र सो को नविकरण दस्तुरको हकमा व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

६. **सवारी साधन कर**:-सवारी साधनहरुको कर प्रदेश सरकारबाट संकलन गरी प्रदेश कानून बमोजिम बाँडफाँड हुनेछ । साथै गाउँपालिकाले असुल गर्ने सवारी साधन कर **अनुसूचि - ४** बमोजिम असुल उपर गरिनेछ ।

७. **विज्ञापन कर**:-गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा **अनुसूची - ५** बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

क) संकलित कर प्रदेश कानून बमोजिम बाँडफाँड हुनेछ ।

ख) पुर्व स्वीकृत विना अनाधिकृत रुपमा राखिएका विज्ञापन सामाग्री जफत गरि जरिवाना सहित कालो सुचिमा राखिनेछ ।

ग) विज्ञापन कर वुझाउनु पर्ने अवधि भित्र विज्ञापन कर नबुझाउने करदाताहरुलाई बुझाउनु पर्ने कर रकममा प्रदेश कानूनले तोके वमोजिम बार्षिक ब्याज लगाई त्यस्तो रकम असुल उपर गरिनेछ ।

घ) व्यवसाय दर्ता भएकोमा आफ्नै व्यवसायको विज्ञापन वापत एउटा वोर्ड कम्तिमा २४ वर्गफिट सम्मको राख्न पाईने छ ।

ङ) नेपाल सरकार (केन्द्रिय, प्रदेश र स्थानीय) कानूनद्वारा निषेधित गरेको विज्ञापन गरेमा जुनसुकै वखत जफत गरी जरिवाना सहित कारवाही गरिनेछ ।

८. **मनोरन्जन कर**:-गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय तथा कार्यक्रमहरुको दररेट प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। त्यसरी संकलित कर प्रदेश कानून बमोजिम बाँडफाँड हुनेछ।

९. **पार्किङ्ग शुल्कः**- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरुलाई व्यवस्थत पार्किङ व्यवस्था गरेमा सो स्थानमा पार्क गरे वापत **अनुसूची - ६** बमोजिम पार्किङ्ग शुल्क लगाइने र असुल उपर गर्न सकिनेछ।

१०. **सेवा शुल्क, दस्तुर** :-गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह गरेमा **अनूसूची - ७** मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**११. पर्यटन शुल्कः-गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरु लाई प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम पर्यटन शुल्क लगाइनेछ।**

१२.. सहकारी सम्बन्धि सेवा शुल्क, कर दस्तुर तथा जरिवानाका लागि प्रस्तावित आय **अनुसुचि - ८** बमोजिम हुनेछ।

१३. **कर छुटः-**

क) यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई तोकिएको बाहेक कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन। तर गाउँपालिका संग प्रत्यक्ष सम्वन्ध भएका गैर नाफामुलक सेवा प्रदायक संगठित संघ संस्थाहरुलाई गाउँसभाको निर्णयानुसार छुट दिन सकिनेछ। साथै नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायबाट कर छुट प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थालाई समेत त्यस्ता किसिमको छुट उपलब्ध गराइनेछ।

ख) अशक्त अपाङ्ग, दलित, सिमान्तकृत, यौनिक अल्पसंख्यकहरुद्वारा यस गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित पेशा व्यवसायहरु दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत र नविकरण गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइने छ।

ग) आ.व. २०८२/०८३ को बहाल कर सोहि आ.व. को प्रथम त्रैमासिकमा चुक्ता गर्नेलाई १० प्रतिशत छुटको विशेष व्यवस्था गरिनेछ। तर आ.व. २०८२/०८३ मा बाहाल कर भुक्तानी नगरेमा अर्को आ.ब. मा १० प्रतिशतका दरले बिलम्ब शुल्क लगाइने छ।

**घ) आर्थिक बर्ष शूरु भएको ३ (तिन) महिना भित्र प्रत्येक व्यवसायिक फर्महरु नविकरण गर्न आएमा नविकरण दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुट दिईनेछ। उल्लेखित छुटको प्रावधान निर्माण व्यवसाय इजाजतमा लागु हुने छैन।**

**ङ) महिलाको नाममा ब्यवसायिक फर्म दर्ता गर्दा दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिईने छ।**

१४. नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेः- तादी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाले यस ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी नियमावली तथा कार्यविधिहरु वनाई लागु गर्न सक्नेछ।

१५. दण्ड तथा जरिवानाः-

क) यस ऐनमा तोकिएको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा लाग्ने दण्ड, जरिवानामा छुट हुने छैन।

ख) तादी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निषेध गरिएका सार्वजनिक सडक, पाटीपौवा, घर टहरामा सवारी साधन पार्किङ्ग वा व्यापार व्यवसाय गर्ने, फोहरमैला फैलने गरी तथा निमार्ण सामाग्रीबाट उत्सर्जित फोहोर एवं प्रचलित कानुन विपरीतका कार्य गरेमा त्यस्तो सामान जफत गरी लिलामी गरिने छ। साथै उक्त कार्यमा बाधा अड्चन तथा पटक पटक सचेत गराउँदा पनी अटेर गरेमा दण्ड जरिवाना वापत न्युनतम रु.१०००।- देखी अधिकतम रु, ५,०००।- सम्म दण्ड तथा जरिवाना गर्न सकिने छ।

(ग) ढुङगा, गिट्टि बालुवा चोरी निकासी गर्ने लाई तपशिल बमोजिम जरिवाना गरिनेछ

| विवरण | आ.व. २०८२/८३ को लागि स्वीकृत |
|---|---|
| (क) ट्रिपर प्रति टिप | :- १५०००।- (पन्ध्र हजार मात्र) |
| (ख) मिनि ट्रिपर (आईचर) प्रति टिप | :- १२,०००।- (बाह्र हजार मात्र) |
| (ग) ट्याक्टर प्रति टिप | :- १००००।- (दश हजार मात्र) |
| घ. डोजर स्काभेटर प्रयोग गरेर, ढुंगा उत्खनन गरी विक्रि वितरण गरेमा | रु. ५०,०००।- (पचास हजार मात्र) |

घ) अनाधिकृत रुपमा ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवा उत्खनन गरी विक्रि वितरण गर्ने उपर पक्रने तथा गोप्य सूचना प्रदान गर्ने लाई जरिवाना अशुली बाट प्राप्त रकमको २५ प्रतिशत रकम सूचना दिने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गराउने । उक्त सूचना प्रदान गर्नेको नाम गोप्य राखिने छ।

ङ) सवारी साधनको क्षमता भन्दा बढी परिमाणमा ट्रक, ट्रिपरको ढाला भन्दा माथि निर्माण सामाग्रिहरु सडकमा छरिने वा पानी चुहिने गरी ढुवानी गर्दा रु ३००० देखि १२००० सम्म जरिवाना गरिने छ ।

१६. **कर फिर्ता/समायोजन सम्बन्धी व्यवस्थाः**-करदाताले यस ऐन बमोजिम कर बुझाउँदा तिनु पर्ने भन्दा बढी कर दाखिला गरेमा बढी दाखिला भएको रकम फिर्ता माग गर्न सक्ने छ । सोको व्यहोरा साँचो देखिएमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले निवेदन परेको एक महिना भित्र रकम फिर्ता दिने निर्णय गर्न सक्दछ । कुनै करदाताले एक शिर्षकमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम अर्को शिर्षकमा जम्मा हुन गएकोमा सोको व्यहोरा मनासिव देखिएमा प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृतले कर समायोजन गर्न स्वीकृत दिन सक्नेछ ।

१७. **बाधा अड्काउ फुकाउः**- कर, राजस्व, घरभाडा छुट/जरिवाना माफी तथा कर लिने क्रममा कुनै बाधा अड्चन उत्पन्न भएमा गाउँ कार्यपालिकाको सिफारिसमा आसन्न गाउँ सभा बाट अनुमोदन हुनेगरी मात्र फुकाउन सकिनेछ ।

१८. गाउँपालिका बाट निकासी हुने कवाडी सामानहरुको कर **अनुसूची ९** बमोजिम हुनेछ ।

१९. तादी गाउँपालिका भित्र उत्पादन हुने फोहोरमैला लाई ब्यवस्थापन गर्नका लागि सरसफाई शुल्क **अनुसूची १०** बमोजिम निर्धारण हुने छ ।

२० निर्माण सामाग्रि कर प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम हुनेछ ।

२१. **अन्य कर** : गाउँपालिका तथा अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरुमा सेवाग्राहिहरु मार्फत पेश हुन आएको निवेदनमा रु २५ बराबरको हुलाक टिकट वा सो बराबर नगदै दस्तुर पेश गर्नुपर्नेछ ।

## अनुसूची १
## दफा ३ संग सम्वन्धित

| **मालपोत कर** | | आ.व ०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट |
|---|---|---|
| **विवरण** | **जग्गाको प्रकृति** | **दर** |
| मुल कच्चि मो.बा.ले छोएको प्रति रोपनी | अब्बल | १२५ |
| | दोयम | १०० |
| | पाखो बारी (चाहार) | ७५ |
| | सिम | ५० |
| मुल पिच मोटर वाटोले छोएको प्रति रोपनी वडा नं २, ३, ४, ५, ६ | अब्बल | २२५ |
| | दोयम | १७५ |
| | पाखो बारी | १२५ |
| | सिम | १०० |
| शाखा मोटर बाटोले छोएको प्रति रोपनि | | |
| आँप्रह पुल- बाहुनबेसि- नर्जा भन्ज्याङ, सातविसे - बाघमारा, खरानीटार- डाँडागाउँ- टुटुङ- दोर्खु खोला | अब्बल | २२५ |
| | दोयम | १७५ |
| | पाखो बारी | १२५ |
| | सिम | ७५ |
| कच्चि मोटर वाटोले छोएको(भित्री) प्रति रोपनी | अब्बल | १२५ |
| | दोयम | १०० |
| | पाखो बारी | ७५ |

| | | |
|---|---|---|
| | सिम | ६० |
| गोरेटो वाटोले छोएका प्रति रोपनी | अब्बल | ७५ |
| | दोयम | ६० |
| | पाखो बारी | ५० |
| | सिम | ३५ |
| अन्य जग्गाहरु प्रति रोपनी | | ५० |

## अनुसूचि - २
## (दफा ४ सँग सम्बन्धित)

| सि.न. | राजस्वको क्षेत्रहरू | आ.व ०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट |
|---|---|---|
| १ | बहाल कर | बहाल रकमको १० (दश) प्रतिशत |

अनुसूचि - ३
(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

| सि.नं. | विवरण | आ.व ०८२।०८३ को स्वीकृत दर श्रेणि बर्गिकरण दर्ता प्रति लाखमा | | | नविकरण शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|
| | | क | ख | ग | |
| १ | होटल/लज/रेष्टुरेन्ट<br>➢ ५ कोठा भन्दा बढी कोठा भएको लज तथा खाना भएको होटल (क)<br>➢ साधारण खाना, खाजा, नास्ता लज भएको लाई (ख)<br>➢ साधारण खाना, खाजा, नास्ता, चिया मात्र भएको (ग)<br>➢ १० कोठा भन्दा माथि ए.सी. भएको होटेल, रेष्टुरेन्टको रु ४५०० | ७०० | ४०० | ३०० | १००० |
| २ | माछा, मासु पसल<br>➢ राँगा, खसि, कुखुराको मासु र माछा सबै विक्री गर्ने पसल (क)<br>➢ खसि बोका र कुखुराको मासु मात्र विक्री गर्ने (ख)<br>➢ कुखुराको मात्र मासु विक्री गर्ने (ग) | ५०० | ४०० | ३०० | १००० |
| ३ | मदिरा पसल<br>➢ इजाजत प्राप्त थोक मदिरा पसल (क)<br>➢ इजाजत प्राप्त खुद्रा मदिरा पसल (ख) | १००० | ७०० | | १२०० |
| ४ | कोल्ड ड्रिङ्क पसल | ३०० | | | १००० |
| ५ | सुनचाँदी पसल<br>➢ आफनै सूनचाँदी लिई बनाउजे र बेच्ने लाई (क)<br>➢ अर्काको सून चाँदी लिई बनाउने (ख) | ७०० | ५०० | | १२०० |
| ६ | रेडियो मोवाईल विक्री तथा मर्मत | ५०० | | | १००० |
| ७ | संचार सेवा रु २००० | | | | १००० |
| ८ | घडि विक्री तथा मर्मत | ५०० | | | १००० |
| ९ | केवल टि.भि. सेवा रु ३००० | | | | १५०० |
| १० | फोटो स्टुडियो | ५०० | | | १००० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ११ | हजाम | ५०० | | | १००० |
| १२ | टेलरिङ | ५०० | | | १००० |
| १३ | जुत्ता पसल<br>➢ जुत्ता खरिद गरि बेच्ने र सिलाई बेच्ने (क)<br>➢ जुत्ता मर्मत तथा खरिद गरी ल्याई विक्री गर्ने (ख) | ५०० | ३०० | | १००० |
| १४ | मोटर .वर्कशप<br>➢ गाडिको वडी बनाउने, मोटर साइकल समेत विभिन्न सवारी मर्मत गर्ने तथा विभिन्न पार्टसहरु विक्री गर्ने (क)<br>➢ सम्पुर्ण सवारी साधन मर्मत (ख) | १००० | ७०० | | १००० |
| १५ | छापा खाना<br>➢ अपसेट प्रेस लाई (क)<br>➢ साधारण प्रेस (ख) | १००० | ७०० | | १००० |
| १६ | स्वास्थ्य सेवा<br>➢ अस्पताल (क)<br>➢ पोलिक्लिनिक तथा क्लिनिक (ख)<br>➢ थोक मेडिकल (ख)<br>➢ मेडिकल (ग) | १००० | ८०० | ६०० | १२०० |
| १७ | मेटल वर्कशप | १००० | | | १००० |
| १८ | काष्ठ उद्योग<br>➢ काठ चिरानी मेसिन सहित काठहरुको विभिन्न फर्निचर र अरु काठहरुको झ्याढोका आदी बनाई विक्री गर्ने (क)<br>➢ कुनै एक मात्र बनाई विक्री गर्ने (ख) | २००० | १००० | | १५०० |
| १९ | ईटा भट्टा र अन्य डिपो<br>➢ इटा भट्टा लाई (क)<br>➢ इटा डिपो लाई (ख)<br>(इटा भट्टा लाई प्रति गोटा रु ५० पैसाको दरले कर लगाईने छ। | २००० | १५०० | | १५०० |
| २० | कम्प्युटर इन्सिच्युट तथा कम्प्युटर टाइपिङ सेन्टर | ५०० | | | १००० |
| २१ | डिपोहरु रु २५०० | | | | १५०० |
| २२ | पान पसल | ५०० | | | १००० |
| २३ | बेकरी उद्योग<br>➢ उद्योग लाई (क)<br>➢ पसल (ख) | १००० | ७०० | | १००० |
| २४ | तरकारी तथा फलफुल पसल | ४०० | | | १००० |
| २५ | मिलहरु<br>➢ १० हर्ज पावर भन्दा माथिको क्षमता भएको खाद्यान्न कुटानी पिसानी, तेल मिल ब्यवसाय (क)<br>➢ सो भन्दा कम क्षमता भएको मिलहरु (ख) | १००० | ५०० | | १००० |
| २६ | खाद्यान्न डिलर | ७०० | | | १००० |
| २७ | ठेकेदार<br>घ बर्गको इजाजत पत्र दस्तुर रु १००००<br>घ बर्गको ब्यवसाय प्रमाण पत्र (आवश्यक परे मात्र) रु २०००<br>घ बर्गको प्रतिलिपी दस्तुर र रु १५००<br>घ बर्गको इजाजत पत्र नविकरण शुल्क रु ५०००<br>आर्थिक बर्ष सुरु भएको ३ महिना भित्र नविकरण गर्न आएमा जरिवाना लाग्ने छैन कार्तिक महिना देखि नविकरण गर्न आएमा नविकरण शुल्कमा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छ। | | | | |
| २८ | कपडा पसल | ७०० | | | १००० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| २९ | किराना तथा खाद्यान्न पसल<br>➢ थोक सहितको किराना तथा खाद्यान्न पसल (क)<br>➢ खुद्रा किराना तथा खाद्यान्न पसल (ख) | ५०० | ३०० | | १००० |
| ३० | भाँडा पसल<br>➢ धातु तथा प्लास्टिकका भाँडाका सामानहरु विक्री गर्ने (क)<br>➢ नुवाकोट जिल्लामा उत्पादन भएका धातु, माटो तथा प्लास्टिकका सामानहरुको विक्री गर्ने (ख) | ५०० | ३०० | | १००० |
| ३१ | चुरा धागो तथा श्रृङ्गारका सामान विक्री पसल<br>➢ थोक सहितको पसल (क)<br>➢ खुद्रा कारोबार गर्ने पसल (ख) | ५०० | ३०० | | १००० |
| ३२ | पशुपालन व्यवसाय<br>➢ गाई, भैंसी बाखा, सुगुर पालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन फर्म, मौरी भेंडा, चौरी पालन, व्यवसाय आदी कारोबार गर्ने व्यवसाय (क)<br>➢ गाई, भैंसी, बाखा, कुखुरा, भेंडा, चौंरी, याक पालन, मौरी (ख) | २०० | १०० | | १००० |
| ३३ | कृषि उत्पादन<br>➢ टंनेल खेति, कफि खेति, ओखर, किवी, तरकारी खेति लगायत मिश्रित कृषि उत्पादन सम्वन्धिी व्यवसाय (क)<br>➢ कृषि/फ्लोरिकल्चर, फूल तथा तरकारीका बिउ एवं विरुवा, नर्सरी व्यवसाय (ख) | २०० | १०० | | १००० |
| ३४ | तयारी पोसाक पसल | ३०० | | | १००० |
| ३५ | हार्डवेयर पसल | १००० | | | १५०० |
| ३६ | ईलेक्ट्रिक पसल | ७०० | | | १००० |
| ३७ | कानुनी सेवा तथा अन्य परामर्श संग सम्वन्धि फर्म | १५०० | | | १५०० |
| ३८ | फर्निचर एण्ड फिनिसिँग पसल | १००० | | | १००० |
| ३९ | साइनबोर्ड पेन्टिङ | ५०० | | | १००० |
| ४० | स्टेशनरी पसल<br>➢ खेलकुद सामाग्रि समेत भएको (क)<br>➢ स्टेशनरी मात्र भएको (ख) | ५०० | ३०० | | १००० |
| ४१ | जडिबुटी खरिद विक्री पसल रु १००० | | | | ७०० |
| ४२ | लेखापरिक्षक/घर नक्सा तयार गर्ने प्राविधिक सुचिकृत दस्तुर रु १५०० | | | | १२०० |
| ४३ | टेलिभिजन पसल | १००० | | | १००० |
| ४४ | विज्ञापन सेवा वा एजेन्ट | ५०० | | | ५०० |
| ४५ | पशु बधशाला | १००० | | | १००० |
| ४६ | अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (शाखा कार्यालय समेत) रु ५००० | | | | ३००० |
| ४७ | वित्तिय सेवा<br>➢ नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको बाहेक आर्थिक कारोबार गर्ने बाणिज्य बैंक (क) रु ७०००<br>➢ वित्तिय संस्थाहरुको शाखा कार्यालय (ख) रु ५००० | | | | ३५०० |
| ४८ | संस्थागत विद्यालय<br>➢ नयाँ दर्ता रु ५०००<br>➢ कक्षा थप अनुमति शुल्क प्रति कक्षा (ख) ३००० | | | | |
| ४९ | चस्मा पसल | ५०० | | | १००० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ५० | सिनेमा हल<br>➢ सिनेमा हल (क)<br>➢ भिडियो हल (ख) | ५००० | ३००० | | २००० |
| ५१ | सिलाई मेसिन विक्री तथा मर्मत गर्ने पसल | ५०० | | | १००० |
| ५२ | रेफ्रिजेरेटर रु १५०० | | | | १००० |
| ५३ | दुग्ध डिपो/पसल | ५०० | | | १००० |
| ५४ | ब्युटि पार्लर | ५०० | | | १००० |
| ५५ | सप्लायर्सहरु रु ५००० | | | | २५०० |
| ५६ | टेलिफोन टावर राखि संचार सेवा उपलब्ध गराउने संस्था रु ५००० | | | | ५००० |
| ५७ | जग्गा विकास/हाउजिग रु ५००० | | | | ५००० |
| ५८ | म्यान पावर सेवा रु ५००० | | | | २५०० |
| ५९ | क्याटेरिङ सेवा रु २००० | | | | १००० |
| ६० | मार्वल टायल पसल रु २५०० | | | | १५०० |
| ६१ | कृषि सामाग्रि पसल भेटेनरी तथा एग्रो भेट सम्वन्धि पसल | ५०० | | | १००० |
| ६२ | वित्तिय कारोबार अन्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको बार्षिक शुल्क<br>➢ बचत तथा ऋण सहकारी (क) रु १५००<br>➢ अन्य सहकारी (ख) १००० | | | | ७५० |
| ६३ | होमस्टे रु १००० | | | | ७०० |
| ६४ | दाना उद्योग रु १५०० | | | | १००० |
| ६५ | निजि कलेज रु ५००० | | | | ३००० |
| ६६ | ब्यवसाय दर्ता खारेजी शुल्क रु ५०० | | | | |
| ६७ | ब्लक/टायल/ह्युम पाईप/रिङ उद्योग रु २००० | | | | १००० |
| ६८ | मिनरल वाटर उद्योग रु २००० | | | | १००० |
| ६९ | प्लम्विङ्ग/पाईप/पेन्टिङ्ग /इलेक्ट्रीक सर्भिस व्यवसाय रु १००० | | | | |
| ७० | कोल्ड स्टोर (शित भण्डार) रु २००० | | | | १००० |
| ७१ | पर्यटन शुल्क<br>➢ प्रवेश शुल्क रु ५। विद्यार्थिको लागि<br>➢ प्रवेश शुल्क रु १५। बयस्कको लागि<br>➢ पिक्निक स्पोर्ट शुल्क रु १५००। प्रतिटिम | | | | |
| ७२ | ट्रेकिङ्ग गाइड सम्वन्धि ब्यवसाय रु १५०० | | | | १००० |
| ७३ | मनोरन्जन तथा खेलकुद सम्वन्धि ब्यवसाय<br>➢ तेक्वान्दो, डोजो, पुल हाउस, फुट्सल, ब्यायाम ब्यवसाय तथा अन्य खेलकुद प्रशिक्षण ब्यवसाय (क)<br>➢ बाद्यबादन, तबला, गीतार आदी संगीतिक पशिक्षण तथा सम्वन्धित सामान खरिद बिक्रि ब्यवसाय (ख) | ५०० | ४०० | | १००० |
| ७४ | घरेलु उद्यम व्यवसाय सम्वन्धि<br>➢ नाङ्लो, कुचो, डोको, च्वाफी/खरेटो, थुन्चे आदि उत्पादन तथा विक्री ब्यवसाय (क)<br>➢ घरेलु अचार ,जाम आदि खाद्यान्न बस्तु उत्पादन तथा विक्री ब्यवसाय (क)<br>➢ स्थानीय उत्पादन बाट प्रशोधनका लागि संचालन गरिने अन्य घरेलु ब्यवयास (ख) | १००० | ७०० | | १००० |
| ७५ | वन वातावरण सम्वन्धि<br>➢ पुराना कवाडि सामान संकलन तथा विक्री ब्यवसाय रु १२०० | | | | १००० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ➢ फोहोरमैला व्यवस्थापन/वातावरण संरक्षण सम्वन्धि संस्था तथा व्यवसाय रु १००० | | | | |
| ७६ | वेल्डिङ व्यवसाय/ग्रिल उद्योग | ५०० | | | १००० |
| ७७ | स्थानिय बजार सँग सम्वन्धित<br>➢ घुम्ति पसल दैनिक रु ५०<br>➢ साग सब्जि फलफुल पसल दैनिक रु १००<br>➢ ब्यापार प्रवर्द्धनका लागि राखिने ब्यापारीक स्टल दैनिक रु ५०० | | | | |
| ७८ | ब्यवसायिक फर्म नामसारी गर्दा तिन पुस्तेको हकमा रु ५०० र सो भन्दा बाहिरको हकमा रु १००० | | | | |
| ७९ | फर्म सुचिकरण/सुचि दर्ता रु ५००<br>निर्माण ब्यवसायिको सूची दर्ता रु १००० | | | | |
| ८० | उपभोक्ता समिति/समुह/टोल सुधार समिति दर्ता शुल्क रु १५०० र नविकरण शुल्क रु १०००<br>खानेपानी मुल/मुहान दर्ता शुल्क रु ३००० र नविकरण शुल्क २००० | | | | |
| ८१ | ब्यवसाय प्रतिलिपी दस्तुर रु ५०० | | | | |

| सि.नं. | संरचना | आ.व.२०८२।८३ को लागि स्विकृत दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | भुँइ तलामा पक्की दिवाल भइ टिनको छानाले छाएको | रु १५०० | नक्सा सशोधन गर्दा कुल बुझाउनुपर्ने राजस्व दस्तुरमा थप ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने । |
| २ | काठको घर वा टाँडे कच्चि घर | रु २००० | |
| ३ | आर सि सि पक्की ढलान घर १००० बर्ग फुट सम्म नक्सा पास गर्दा | ३।५ | |
| ४ | आर सि सि पक्की ढलान घर १००१ देखि २००० बर्ग फुट सम्म नक्सा पास गर्दा | ४।५ | |
| ५ | आर सि सि पक्की ढलान घर २००१ देखि २५०० बर्ग फुट सम्म नक्सा पास गर्दा | ५ | |
| ६ | आर सि सि पक्की ढलान घर २५०१ देखि ३५०० बर्ग फुट सम्म नक्सा पास गर्दा | ६ | |
| ७ | आर सि सि पक्की ढलान घर ३५०१ देखि माथि जति भएपनि नक्सा पास गर्दा | ७ | |
| ८ | घरको नक्सा प्रतिलिपी दस्तुर | १००० | |
| ९ | घर निर्माण क्षेत्र रेखाङ्कन निरिक्षण दस्तुर | १००० | गाउँपालिकाले भवन संहिता लागू गरे पछि वा सो पूर्व परामर्शदाता वा छुट्टै कर्मचारीबाट नक्सा र निर्मित घरको भेरीफीकेशन, संहिता पालनाका विषयमा फिल्डमा सहजिकरण गरेवापत छुट्टै तोकिएको दस्तुर लाग्नेछ । |
| १० | घर नक्सा नामसारी दस्तुर | | |
| | १०.१ १००० वर्गफिट सम्मको घर नक्सा नामसारी | १५०० | क) घर जग्गा धनीको मृत्यु भई प्रचलित कानून बमोजिम एका सगोलका परीवारमा नामसारी गर्नू पर्दा १००० बर्गफिट सम्मको घरमा रु. १०००। सो भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि रु.२५००। लिईने छ । |
| | १०.२ १००० देखी माथि २००० वर्गफूट सम्मको घर नक्सा नामसारी | ३००० | |
| | १०.३ २००० देखी माथि ३००० वर्गफूट सम्मको घर नक्सा नामसारी | ४५०० | |
| | १०.४ ३००० देखी माथि ४००० बर्ग फीट सम्मको | ६००० | |
| | १०.५ ४००० देखी माथि ५००० बर्गफिट सम्मको | ८००० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | १०.६ ५००० बर्गफिट भन्दा माथि प्रति बर्ग फिट बराबर | प्रतिवर्ग फिट रू.२.०० | |

नोट :

- यसमा डिलर, एजेन्ट, डिपो, सब डिलर आदी बाहेक अन्य पसल, उद्योग, ब्यवसायको हकमा कसैले एउटै पसलमा धेरै प्रकारका सामानहरु राखि पसल तथा ब्यवसाय गरेको छ भने सबै प्रकार मध्ये कुनै एकको मात्र कर लिने छ तर यसमा सबै सामान मध्ये जुन सामानको करको दर बढी छ सोही लाई कायम गरी कर अशुल गरिनेछ ।
- विगत जुनसुकै बर्षहरुको व्यवसाय कर बुझाउन बाँकी रहेको भएपनि २०८२ असोज मसान्त भित्र गत आ.व. देखिको कर बुझाउन आएमा जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । उक्त म्याद भित्र कर नबुझाएमा करदाताहरु बाट बुझाउन पर्ने सम्पुर्ण ब्यवासाय करमा यस अघिको ब्यवसाय करमा प्रतिबर्ष २५ प्रतिशतका दरले जरिवाना सहित ब्यवसाय कर अशुल गरिनेछ ।
-
- तादी गाउँपालिका भित्रको घर नक्सा पासको सन्दर्भमा माथि नसमेटिएका विषयहरु **तादी गाउँपालिकाको भवन नियमित तथा अभिलेखिकरण सम्वन्धि कार्यविधि २०८१** तथा **तादी घर अभिलेखिकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०८१ बमोजिम हुनेछ ।**

## अनुसूचि - ४
## दफा ६ संग सम्वन्धित

सवारी साधन कर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सवारी साधनमा लाग्ने, ढुवानी गरे वापत सवारी साधन कर लाई अशुल उपर गरिन्छ ।

| सि.नं. | विवरण | आ.व ०८२।०८३ को लागि स्वीकृत करको दस्तुर (प्रति पटक) |
|---|---|---|
| १ | अटो संचालन अनुमति इजाजत पत्र | ५००० |
| २ | ढुङ्गा प्रतिटिप (ट्रिपर) | २०० |
| ३ | ढुङ्गा प्रतिटिप (आईचर) | १०० |
| ४ | बालुवा प्रतिटिप (ट्रिपर) | २०० |
| ५ | बालुवा प्रतिटिप (आइचर) | १०० |
| ६ | गिट्टी प्रतिटिप (ट्रिपर) | २०० |
| ७ | गिट्टी प्रतिटिप (आइचर) | १०० |
| ८ | स्क्याभेटर/रोलर प्रतिदिन | ३०० |
| ९ | जे.सि.भि. दैनिक | २०० |
| १० | ट्याक्टर ठुलो व्यावसायिक प्रयोजन ( कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने बाहेक) | १०० |
| ११ | बस, ई.भि. सुमो, माइक्रो | संघीय कानुन बमोजिम |
| १२ | मिक्स्चर, थ्रेसर प्रतिदिन | २०० |

# अनुसूचि - ५
## दफा ७ संग सम्वन्धित

| सि. न. | राजस्वको क्षेत्रहरु | आ.व ०८२।०८३ को लागि स्वीकृत दररेट |
|---|---|---|
| १ | व्यवसायको नाम ठेगाना भएको साईन बोर्ड प्रति वर्ग फुट | रु. २०। (बीस) (जनजातीहरुको मातृ भाषा सहितको लेखेकोलाई ५० प्रतिशत छुट) |
| २ | व्यवसायको नाम ठेगाना भएको विद्युतिय साईन बोर्ड प्रति थान | रु. १०००। |
| ३ | होर्डिङ्ग बोर्ड (साधारण प्रति वर्ग फूट/प्रति वर्ष | रु. ५०। नेपाल सरकार, शिक्षा, स्वस्थ्य, वातावरण संरक्षण र जनचेतनामुलक सन्देशहरु सार्वजनिक आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी पूर्व अनुमति लिई मात्रा राख्नु पर्ने छ। |
| ४ | पोल बोर्ड प्रति गोटा प्रति बर्ष | रु ५०० |

# अनुसुची ६
## (दफा ९ सँग सम्बन्धित)

| सि. न. | राजस्वको क्षेत्रहरु | आ.व ०८२।०८३ को स्वीकृत दररेट |
|---|---|---|
| १ | वस, मिनिवस, ट्रक, कार जीप, भ्यान, ट्याक्टर आदि पार्किङ्ग गर्दा पार्किङ्ग शुल्क | प्रति घण्टा रु. १०।<br>दैनिक रु. १००। |
| २ | माथि उल्लेख भए बाहेक अन्य सवारी साधनमा पार्किङ्ग शुल्क वापत | प्रति घण्टा रु.१०। |

# अनुसुची ७
## (दफा १० सँग सम्बन्धित)

| सि.नं. | विवरण | आ.व. २०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दस्तुर रु |
|---|---|---|
| १ | नाता प्रमाणित | ३०० |
| २ | मुचुल्का प्रमाणित | ५०० |
| ३ | धारा मिटर जडान सिफारिस | ३०० |
| ४ | नाम थर सच्याउने | ३०० |
| ५ | जग्गा/जग्गा दर्ता/ रैकर आदी | १००० |
| ६ | दैवि प्रकोप असहाय, अशक्त र जेष्ठनागरीक भत्ताको मन्जुरीनामा सिफारिस | नि:शुल्क |
| ७ | जग्गा खरिद विक्रीमा घर बाटो प्रमाणित सिफारिस | ६०० |
| ८ | कालो पत्रे मोटर बाटो भएको भनि प्रमाणित गरिने सिफारिस | ६०० |
| ९ | अन्य मोटर बाटो भएको भनि प्रमाणित गरिने सिफारिस | ५०० |
| १० | बर्षिक आयस्रोत प्रमाणित तथा सम्पत्ति क्षमता प्रमाणित सिफारिस (छुट्टाछुट्टै हिसावले लाग्ने) | |

| | | |
|---|---|---|
| | रु.१० लाख सम्म | २०००।०० |
| | रु.२० लाख सम्म | ३,५००।०० |
| | रु.३० लाख सम्म | ४,५००।०० |
| | रु.४० लाख सम्म | ५,५००।०० |
| | रु.५० लाख सम्म | ६५००.०० |
| | रु.५० लाखभन्दा बढी प्रत्येक ५ लाखमा | रु ५०० का दरले थप |
| ११ | व्यापारिक प्रयोजनका लागि रुख कटान सिफारिस | रू ३०० |
| १२ | नगरिकता सिफारिस दस्तुर | ३०० |
| १३ | नगरिकता प्रतिलिपी सिफारिस दस्तुर | ५०० |
| १४ | जन्म मृत्यु सिफारिस दस्तुर रु २००<br>विवाह दर्ता दस्तुर रु ३००<br>बसाई सराई सिफारिस दस्तुर ५०० | ३५ दिन भित्र गरेमा निशुल्क |
| १५ | जन्म, मृत्यु, विवाह, सिफारिसको प्रतिलिपी दस्तुर रु ५००<br>बसाईसराई सिफारिस प्रतिलिपी दस्तुर १००० | |
| १६ | सम्वन्ध विच्छेद | १००० |
| १७ | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस दस्तुर | १००० |
| १८ | अपाङ्गता सिफारिस दस्तुर | नि:शुल्क |
| १९ | अस्थायी बसोबास सिफारिस | ३०० |
| २० | जग्गा नामसारी सिफारिस | ३०० |
| २१ | मोहि लगत कट्टा सिफारिस | ३०० |
| २२ | घर कायम सिफारिस | ३०० |
| २३ | छात्रवृत्ति सिफारिस | नि:शुल्क |
| २४ | विपन्न विद्यार्थि छात्रवृत्ति सिफारिस | नि:शुल्क |
| २५ | स्थायी बसोबास सिफारिस | २०० |
| २६ | आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित दस्तुर | नि:शुल्क |
| २७ | अंग्रेजिमा नाता प्रमाणित, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, ठेगाना प्रमाणित, अविवाहित प्रमाणित दस्तुर प्रत्येक पानाको छुट्टाछुट्टै शुल्क | ५०० |
| २८ | विदेश जाने कागजात परराष्ट्र प्रमाणित प्रयोजनका लागि प्रति पाना दस्तुर | १००० |
| २९ | आगोलागि सिफारिस | नि:शुल्क |
| ३० | वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मृत्यु भएका व्यक्तिको सिफारिस | नि:शुल्क |
| ३१ | गाउँपालिका वाट सम्पन्न गर्ने योजनाहरुको वडा कार्यालय बाट गरिने सिफारिस दस्तुर<br>(क) २ लाख सम्मको योजना रु २००<br>(ख) २ देखि ५ लाख सम्मको योजना रु ३००<br>(ग) ५ देखि २० लाख सम्मको योजना रु ५००.<br>(घ) २० देखि माथिको योजना रु ७००<br>(ङ) महिलाहरु मात्र समितिमा रहेर गठन भएको उपभोक्ता समितिको हकमा माथि उल्लेखित दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट हुने छ।<br>(च) संघ र प्रदेश स्थित कार्यालयहरु बाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको वडा कार्यालय बाट गरिने सिफारिस दस्तुर १० | |

| | | |
|---|---|---|
| | लाख सम्मको योजनाको रु ५००। र सो भन्दा माथिको योजना सिफारिस दस्तुर रु १०००। | |
| ३२ | दुवै नाम/थर एकै भएको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस/ जन्म मिति संशोधन सिफारिस | ५०० |
| ३३ | व्यवसाय बन्द सिफारिस दस्तुर | ३०० |
| ३४ | नावालक परिचय पत्र सिफारिस | नि:शुल्क |
| ३५ | व्यवसाय संचालन नरहेको सिफारिस | ३०० |
| ३६ | समुह, समिति, व्यवसाय दर्ता/नविकरण सिफारिस | ३०० |
| ३७ | उद्योग ठाउँसारी सिफारिस | १००० |
| ३८ | विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति/कक्षा बृद्धि सिफारिस (संस्थागत विद्यालय) | १००० |
| ३९ | व्यक्तिगत विवरण सिफारिस | ३०० |
| ४० | जग्गा दर्ता सिफारिस | ३०० |
| ४१ | संरक्षक सिफारिस (व्यक्तिगत) | नि:शुल्क |
| ४२ | संरक्षक सिफारिस (संस्थागत) | ५०० |
| ४३ | नि:शुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण सिफारिस | नि:शुल्क |
| ४४ | संस्था दर्ता सिफारिस | १००० |
| ४५ | घर बाटो प्रमाणित | ३०० |
| ४६ | चार किल्ला प्रमाणित | ३०० |
| ४७ | कागज मन्जुरी नामा प्रमाणित | ३०० |
| ४८ | जग्गा रेखाङ्कन कार्यको रोहवर शुल्क | १००० |
| ४९ | जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा हराएको सिफारिस | ५०० |
| ५० | जग्गा धनि प्रमाण पुर्जामा घर कायम रहेको सिफारिस | ५०० |
| ५१ | माटो परिक्षण शुल्क | १०० |
| ५२ | पशु स्वास्थ्य परिक्षण प्रति गोटा | १०० |
| ५३ | वाली परिक्षण | १०० |
| ५४ | घर निर्माण रेखाङ्कन निरिक्षण दस्तुर | १००० |
| ५५ | गत आ.व. को कर तिरेको रसिद प्रतिलिपी दस्तुर | १०० |
| ५६ | बैंक खाता संचालन सिफारिस दस्तुर | २०० |
| ५७ | उद्योग दर्ता/बन्द सिफारिस | १००० |
| ५८ | मर्कसिट प्रतिलिपी सिफारिस दस्तुर | १०० |
| ५९ | नेपाली पेन्सन पट्टा सिफारिस | ५०० |
| ६० | रुख कटान सिफारिस<br>क) जग्गाको नम्मरी प्रति रुख कटान सिफारिस (एक भन्दा बढि रुख कटान सिफारिस गर्दा प्रति रु ५० को दरले थप गरिने) | ३०० |
| ६१ | विवाद निरुपणका लागि पक्षहरुले निवेदन दिँदा पटकै पिच्छे निवेदन दस्तुर | ५०० |
| ६२ | व्यक्तिगत घटना तथा नागरिक अभिलेख दर्ता किताव हेरेको | १०० |
| ६३ | हेर्न चाहेको प्रतिलिपी प्रतिपाना | ५ |
| ६४ | माग निवेदनको आधारमा गा.पा. बाट जग्गा छुटाउने | १५०० |
| ६५ | टिनको छाना/ढुङगा/इट्टा माटोको जडान भएको कच्ची घरमा विद्युत मिटर जडान सिफारिस दस्तुर | ३०० |

| | | |
|---|---|---|
| ६६ | पक्की घरमा विद्युत मिटर जडान सिफारिस | १००० |
| ६७ | थ्रि फेज लाईन जडान सिफारिस | २००० |
| ६८ | माथि उल्लेख नभएका सिफारिसको हकमा | ५०० |
| ६९ | कर्मचारी नियुक्ति आवेदन दस्तुर<br>मा.वि.शिक्षक आवेदन दस्तुर रु १५००<br>नि.मा.वि. शिक्षक आवेदन दस्तुर रु १०००<br>आ.वि.शिक्षक आवेदन दस्तुर रु ५०० | |
| ७० | ब्यापारिक प्रयोजनका लागि लगिने<br>राँगो/भैंसी (प्रति गोटा) रु १५०<br>खसि, बोका, भैंडा, च्याङग्रा (प्रति गोटा) रु १००<br>हाँस कुखुरा (प्रति गोटा) रु ५ | |

## अनुसूची - ८
(दफा १२ सँग सम्बन्धित)

सहकारी सम्बन्धि व्यवस्था

१. लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रत्येक आ.ब. को पौष मसान्त भित्र बुझाएमा कुनै जरिवाना लाग्ने छैन ।
२. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार भई साधारण सभामा अनुमोदन समेत गरेको, कर चुक्ता भएको तर विवरण नबुझाउने संघ संस्थाको हकमा प्रत्येक आ.ब.को बढीमा रु. १५००/-( एक हजार पाँच सय मात्र) को दरले जरिवाना हुने ।
३. लेखा परिक्षण नगर्ने, कर चुक्ता नलिने र साधारण सभा नगर्ने संघ/संस्थाको हकमा प्रत्येक आ.ब.को बढिमा थप रु. २५००/- (दुई हजार पाँच सय) दरले जरिवाना हुने ।
४. दर्ता गर्ने अधिकारीले प्रचलित सहकारी कानुनको पालना गर्नको लागि दिएको लिखित आदेश अवज्ञा गर्ने सहकारी संघ/संस्थालाई पहिलो पटक बढिमा रु. ३५००। तिन हजार पाँच सय सम्म र दोस्रो पटक दोब्बर गर्दै पटक पटक सोही कसूर गरेमा रु. ५०,०००/- (पचास हजार) सम्म जरिवाना हुने ।
५. प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी सदस्य संग ब्याज लिएमा, ब्याजलाई पुँजीकृत गरेमा, कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोवार गरेमा तथा गैर सदस्य कारोवार गरेमा पहिलो पटक रु. १० हजार सम्म र त्यसपछि दोब्बर जरिवाना गर्दै बढीमा रु. १,००,०००/- (एक लाख) सम्म जरिवाना हुने ।

## अनुसूची ९

## दफा १८ संग सम्वन्धित

| सि.नं. | कर शिर्षक | आ.व ०८२।०८३ को लागि स्वीकृत दररेट |
|---|---|---|
| १ | ब्लक प्रति गोटा | ५० पैसा |
| २ | पानी प्रति लिटर | २५ पैसा |
| ३ | पानी प्रति जार | १ रुपैयाँ |
| ४ | मदिरा सिसि प्रति गोटा | ७५ पैसा |

| | | |
|---|---|---|
| ५ | प्लास्टिक जन्य पदार्थ प्रति के.जि | रु ५० पैसा |
| ६ | फलाम प्रति केजी | रु २ |
| ७ | सिलौर, जस्ता प्रति के.जि. | रु १ |
| ८ | तामा पित्तल प्रति के.जि | रु ५ |
| ९ | कागज प्रति केजि | रु ७५ पैसा |
| १० | ईट्टा (मेसिन बाट उत्पादीत) प्रति गोटा | रु ५० पैसा |
| ११ | ईट्ट लोकल प्रति गोटा | रु ३० पैसा |
| १२ | ईनार/कुवा रिङ प्रति गोटा | रु ५ |
| १३ | काँचो काठ निकासी | प्रति क्युफिट ३ |
| १४ | नम्मरी काठ (सम्वन्धित निकाय बाट अनुमति लिई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि) | प्रति क्युफिट ५ |

## अनुसूची १०
## दफा १९ संग सम्वन्धित

| सि.नं. | विवरण | आ.व २०८२/८३ को लागि स्वीकृत न्युनतम शुल्क बार्षिक |
|---|---|---|
| १ | आवासिय घर २ तला सम्म | १०० |
| २ | आवासिय घर २ तला माथि | १५० |
| ३ | होटल लज सहितको ब्यवसाय | १००० |
| ४ | होटल, सानो चिया नास्ता पसल | ५०० |
| ५ | मासु पसल राँगा, खसि | ८०० |
| ६ | मासु पसल कुखुरा | ५०० |
| ७ | सैलुन | ५०० |
| ८ | तरकारी फलफुल पसल | ४०० |
| ९ | पान पसल | ६०० |
| १० | माछा पसल | ८०० |
| ११ | किराना होलसेल पसल | ६०० |
| १२ | किराना खुद्रा पसल | ५०० |
| १३ | फेन्सी, मोवाईल,साईवर,कपडा, घडि, चुराधागो पसल | ६०० |
| १४ | सुन पसल | ६०० |
| १५ | स्कुल, क्याम्पस सरकारी तथा सरकारी | १००० |
| १६ | निजी संघ संस्था | १००० |
| १७ | उद्योग घरेलु, साना छाला जुत्ता झोला | ५०० |
| १८ | धान, चिउरा, तेल मिल | ६०० |
| १९ | फर्निचर उद्योग | १२०० |
| २० | बस, माइक्रो बस काउन्टर | १२०० |
| २१ | अस्पताल, पोलिक्लिनिक सुई सिरिन्ज बाहेक | १५०० |
| २२ | औषधि पसल, एग्रो भेट | १२०० |

| | | |
|---|---|---|
| २३ | कुखुरा फर्म सानो १००० भन्दा कम | ५०० |
| २४ | कुखुरा फर्म ठुलो १००० भन्दा माथि | १२०० |
| २५ | हार्डवेर, सप्लायर्स, भाँडा पसल | १२०० |
| २६ | स्टेशनरी, कम्प्युटर इन्सिच्युत | ८०० |
| २७ | छापाखाना, प्रेश | ६०० |
| २८ | टायर रिसोलिङ | १००० |
| २९ | साईकल मोटर साइकल वर्कसप, सोरुम, मोटर पार्टस | १००० |
| ३० | बैंक तथा वित्तिय संस्था | १००० |
| ३१ | ईट्टा विक्री केन्द्र | १२०० |
| ३२ | मदिरा पसल | ८०० |
| ३३ | टीभि इलेक्ट्रिक तथा मर्मत | १२०० |
| ३४ | पार्टि प्यालेस, क्याटरिङ | १२०० |
| ३५ | फलफुल तथा तरकारी पसल | १२०० |
| ३६ | हस्तकला, आर्टस्, फ्लेक्स सेन्टर | १२०० |
| ३७ | दुध डिपो, डेरी | १००० |
| ३८ | कुखुरा बाहेक कृषि फर्म | ६०० |
| ३९ | अन्य | ५०० |

नोट

१. यस ऐनमा उल्लेख भएका राजस्व शिर्षक र राजस्वका दरहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ र माथि उल्लेखित राजस्व शिर्षक बाहेक अन्य प्रकृतिका व्यवसायिक फर्म संचालनका लागि दर्ता गर्न आएमा माथि उल्लेखित राजस्व शिर्षक संग मिल्दोजुल्दो शिर्षकमा राजस्व रकम नघट्नेगरी राजस्व रकम बुझिने छ ।

२. यस ऐनमा जेसुकै लेखिएको भएतापनि नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ दफा ५७ को ७ बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुन संग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्नेछ र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन प्रदेश कानुन संग बाझिएमा बाझिएको हद सम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था । सोही बमोजिम माथि उल्लेखित राजस्वका दर संघीय तथा प्रदेश सरकारको कानुनले तोकेको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ ।